न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 150/2021
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

1. मुरल्या पुत्र श्री प्रभु, जाति–अहीर, निवासी–गोविन्दपुरा, तहसील–कालवाड।
2. मंगल्या पुत्र श्री प्रभु, जाति–अहीर, निवासी–गोविन्दपुरा, तहसील–कालवाड।
3. केशरलाल पुत्र श्री घासीराम, जाति–अहीर, निवासी–गोविन्दपुरा, तहसील–कालवाड।
4. मुकेश पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता गंगादेवी, जाति–अहीर, निवासी–गोविन्दपुरा, तहसील–कालवाड।
5. दीपक पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता गंगादेवी, जाति–अहीर, निवासी–गोविन्दपुरा, तहसील–कालवाड।
6. गंगादेवी पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर, जाति–अहीर, निवासी–गोविन्दपुरा, तहसील–कालवाड।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–
1. पेरोकार सरकार।
2. श्री एस के यादव, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : **27.04.2026**

तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–गोविन्दपुरा की आराजी खसरा नं0 10 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आ0ख0नं0 14 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0ख0नं0 201 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा भूमि माफी मन्दिर श्री गोविन्देव जी मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के मन्दिर श्री गोविन्देव जी के बजाय झूंथा प्रभात्या पि0 गंगाराम जाति–डाकोत के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या–12, 40 व 160 से मुरल्या मगल्या पि0 प्रभु केशर लाल पि0 घासीराम मुकेश दीपक पि0 रामेश्वर नाबालिक संरक्षक माता गंगादेवी विधवा रामेश्वर जाति अहीर निवासी गोविन्दपुरा के नाम दर्ज होकर हाल

जमाबन्दी संवत् 2058–2061 में दर्ज है, जो पुनः मन्दिर श्री गोविन्देव जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण 3 लगायत 6 बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 03 नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में मन्दिर श्री गोविन्देव जी दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के मन्दिर श्री गोविन्देव जी के बजाय झूंथा प्रभात्या पि0 गंगाराम जाति–डाकोत के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या–12, 40 व 160 सें मुरल्या मगल्या पि0 प्रभू केशर लाल पि0 घासीराम मुकेश दीपक पि0 रामेश्वर नाबालिक संरक्षक माता गंगादेवी विधवा रामेश्वर जाति अहीर निवासी गोविन्दपुरा के नाम दर्ज होकर हाल जमाबन्दी संवत् 2058–2061 में दर्ज़ है, जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्री गोविन्देव जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री एस0के0 यादव का कथन है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम गोविन्दपुरा तहसील जयपुर की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आ0ख0नं0 14 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0ख0नं0 201 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा भूमि माफी मन्दिर श्री गोविन्देव जी मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के मन्दिर श्री गोविन्देव जी के बजाय झूंथा प्रभात्या पि0 गंगाराम जाति–डाकोत के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

नामान्तरकरण संख्या–12, 40 व 160 से मुरल्या मगल्या पि0 प्रभू केशर लाल पि0 घासीराम मुकेश दीपक पि0 रामेश्वर नाबालिक संरक्षक माता गंगादेवी विधवा रामेश्वर जाति अहीर निवासी गोविन्दपुरा के नाम दर्ज होकर हाल जमाबन्दी संवत् 2058–2061 में दर्ज है। बिना किसी सक्षम आदेश के मंदिर की भूमि को स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। इसलिए मंदिर के नाम दर्ज फरमायी जावें। प्रार्थी पक्ष ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना–पत्र में तथ्यों को तोड–मरोडकर एवं कतई गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी पक्ष जिस खतोनी बंदोबस्त में वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री गोविन्ददेवी जी का अंकन होने का तर्क दिया है उसी जमाबंदी में काश्तकार के कालम में खातेदार झूंथा प्रभात्या का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव मे आने से पहले भी निजी काश्तकार के नाम दर्ज थी व बाद मे भी निजी खातेदार की काश्तकारी में ही दर्ज रही बंदोबस्त विभाग ने कोई नई एन्ट्री रिकार्ड में नहीं की है। सत्य यह है कि माफीदार के कालम मे माफी मंदिर श्री गोविन्द देवी जी का अंकन है परन्तु जब माफी अधिग्रहित की गई तो मंदिर गोविन्द देव जी का नाम विलोपित करते हुये उसके स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया गया है। काश्तकार पूर्व की तरह ही काश्तकार बना रहा इसलिये झूंथा प्रभात्या राजस्थान जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत स्वतः ही कानूनी खातेदार काश्तकार हो गये। मंदिर के नाम उक्त भूमि बंदोबस्त रिकार्ड मे खुदकाश्त कभी दर्ज नहीं रही इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि मंदिर गोविन्द देवी जी कभी काबिज काश्तकार रहे हो। राजस्थान सरकार के द्वारा एक परिपत्र दिनांक 24.05.2007 को समस्त जिला कलेक्टर्स को यह निर्देशित किया था कि ऐसी मंदिर माफी की भूमियां जिन पर काश्तकार के रूप मे किसी व्यक्ति का नाम काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व दर्ज हो एवं वह भूमियाँ मंदिर की खुदकाश्त भूमि ना हो तो उनके रेफरेन्स राजस्थान राजस्व मण्डल नहीं किये जावे। इसी आशय का परिपत्र माननीय राजस्व मण्डल ने भी दिनांक 6.01.2011 को जारी किया है। माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है कि खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2015 से 2034 कालम 3 मे माफी मंदिर गोविन्ददेवी जी स्पष्ट तौर पर अंकित है तथा कालम 5 में काश्तकार का नाम झूंथा प्रभात्या दर्ज है। साथ ही जागीर रिज्यूम होने के पश्चात जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 में कालम 3 में माफी मंदिर गोविन्द देवी जी के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित है परन्तु कालम 5 में काश्तकार का नाम पूर्व से चला आ रहे काश्तकार झूंथा प्रभात्या का नाम दर्ज है खातेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 12, 40 व 160 से

न्यायालय अति. कलक्टर (...) जयपुर

मुरल्या मंगला पि0 प्रभू केसरलाल पि0 घासीराम मुकेश दीपक पि0 रामेश्वर नाबालिग संरक्षक माता गंगा देवी विधवा रामेश्वर जाति अहीर, निवासी गोविन्दपुरा के नाम दर्ज होकर सम्वत् 2058–2061 की जमाबन्दी मे मुरल्या वगैराह दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थी का यह कथन कि कालान्तर में जमाबंदी तहरीर करते हुये राजस्व कर्मियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के मंदिर गोविन्द देव जी का नाम विलोपित कर वादग्रस्त आराजी झूंथा प्रभात्या के नाम दर्ज कर दी यह तथ्य रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के कतई विपरित है प्रस्तुत जमाबंदी जो प्रथम रिकार्ड है मे झूंथा प्रभात्या बतौर खातेदार दर्ज है एवं मंदिर माफी की इस आराजी में खुद काश्त का अंकन कही नहीं है। राजस्थान जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अनुसार माफी की सारी आराजियात रिज्युम की जाकर राजस्थान सरकार में निहित हो जायेगी एवं धारा 10 में खुदकाश्त की भूमि पर खुदकाश्त खातेदार को खातेदारी प्रदान की जावेगी जो बतौर खुदकाश्त काश्तकार उस समय दर्ज है वह अंकन बरकरार रहेगा उन्हे खातेदार काश्तकार माना जायेगा Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 Sec- 9 Khatedari rights in Jagir Lands- Every tenant in the Jagir Land who at the commencement of this act is entered the revenue records as the khatedar, Pattedar, Khatedar or under any other description implying that the tenant has heritable and full transferable right in the tenancy shall continue to have such right and shall be called a Khatedar tenant in respect of such Land-. Sec- 10 as from the date of resumption of any Jagir Land and Khudkasht Land of a Jagirdar shall be deemed to be held by the Jagirdar as a tenant and shall be assesses at the village rate- प्रकरण हाजा में वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी गोविन्ददेव जी की खुदकाश्त भूमि दर्ज नहीं है एवं काश्तकार घीसा का नाम दर्ज है।

जिसे स्वतः खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 से प्राप्त हो जाते है। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रपत्र दिनांक 24.05.2007 की रोशनी में पेरा नम्बर 3 व 4 जो इस प्रकार है :–

3. मंदिर को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरो के पुर्नग्रहण के साथ साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरो के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार

प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है उचित नहीं है। ऐसी भूमि के संबंध मे जो मंदिर माफी की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। इस क्रम में ही राजस्व मण्डल ने भी अपने पत्र दिनांक 06.01.2011 के द्वारा संदर्भित करते हुये जारी किया है कि मंदिर माफी की भूमि से खातेदारी अधिकारो के संबंध में 'परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अन्तिम तौर पर यह व्यस्था सुनिश्चित की गई थी कि ज़ागीरो के अधिग्रहण के समय मंदिर मांफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज् थी उन खातेदारो को पूर्ण अधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि–सम्मत नहीं है राजस्व रिकार्ड मे ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एवं राजस्थान जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या प(3) (2) राज.–6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र कमांक रा.म./प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 6.1.2010 की रोशनी में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन आधारहीन बलहीन विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे ।

हमने उभय पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल ख़तौनी बन्दोबस्त (ज़माबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में मन्दिर श्री गोविन्देव जी दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए ज़माबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते,

परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। मन्दिर श्री गोविन्देव जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित मन्दिर श्री गोविन्देव जी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 12, 40, 160 गोविन्दपुरा वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्री गोविन्देव जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 15.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(मेघराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर